भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 35 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 23 मार्च, 2011

विषयः- दालों (काबुली चना और 10,000 टन आर्गेनिक दालों के अलावा) के निर्यात पर रोक का विस्तार 31.3.2012 तक - के संबंध में।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं0 15(आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 के पैरा 3 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. दालों के निर्यात पर प्रतिबंध प्रारंभ में अधिसूचना सं0 15(आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए लगाया गया था जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। यह विस्तार अधिसूचना सं0 35/ 2009-2014 दिनांक 30.03.2010 के अनुसार 31.3.2011 तक है। अब, दालों के निर्यात पर रोक को 31.3.2012 तक बढ़ाया जा रहा है। यह रोक काबुली चना पर लागू नहीं होगी।

3. इसके अलावा, 31.3.2012 तक दालों के निर्यात पर रोक 10,000 टन आर्गेनिक दालों के निर्यात पर लागू नहीं होगी। तद्नुसार, अधिसूचना सं0 35/ 2009-2014 दिनांक 30.03.2010 का संशोधित पैरा 3(i) निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

" 3(i) दालों के निर्यात पर रोक की वैधता अवधि को 31-03-2012 तक बढ़ाया जाता है। यह रोक 2011-12 के दौरान (1) काबुली चना और (2) 10,000 टन आर्गेनिक दालों के निर्यात पर लागू नहीं होगी। आर्गेनिक दालों का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) 31.3.2012 तक मात्रा सीमा 10,000 टन होगी;

(ख) इसे एपेडा के द्वारा आर्गेनिक दाल के रूप में विधिवत प्रमाणित होना चाहिए;

(ग) पोतलदान से पूर्व निर्यात संविदाएं एपेडा नई दिल्ली के पास पंजीकृत होनी चाहिए;

(घ) निर्यात केवल सीमा-शुल्क ईडीआई पत्तनों से अनुमत होगा।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :
दालों के निर्यात पर रोक को एक और वर्ष 31.3.2011 से 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया है। परंतु इसके दो अपवाद हैं। एक, काबुली चना का निर्यात (इसे पहले भी अनुमत किया गया था) है। दूसरा, आर्गेनिक दालों (अब नया संस्करण) का निर्यात है, परंतु 10,000 टन की सीमा के अंदर और ऊपर वर्णित शर्तों के अधीन है।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/1776/एएम10/एक्सपोर्ट सैल से जारी)